



बागवानी में प्रसंस्करण तथा उत्पाद विविधीकरण द्वारा उद्यमिता विकास एवं आत्म निर्भरता

विशाल नाथ^{1*}, अलेमवती पोंगेनर² एवं स्वपनिल पाण्डेय³

^{1,2} भा.कृ. अनु. प.- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर

³पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

पत्राचारकर्ता : nrciptchi@gmail.com

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था में 18 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करता है और 50 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। भारत वर्ष बागवानी फसलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष (2017-18) लगभग 25.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से 313 मिलियन टन बागवानी फसलों का उत्पादन होता है। हम बागवानी फसलों के उत्पादन में खाद्यान फसलों की (285 मिलियन टन) में आगे निकल (313 मिलियन टन) तुलना चुके हैं। देश में करीब 6.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से 98.5 मिलियन टन फल प्रतिवर्ष पैदा होता है। इसी प्रकार सब्जियों के मामले में लगभग 10.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से 186.4 मिलियन टन सब्जी का प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा है। मसालों, औषधीय पौधों, सुगन्ध वाले पौधों, रोपण फसलों, फूलों, मशरूम, शहद आदि के उत्पादन में भी देश ने मुकाम हासिल किया है। देश के कुल बागवानी उत्पादन में लगभग 31 प्रतिशत फलों, 60 प्रतिशत सब्जियों, 2.5 प्रतिशत मसालों और लगभग 1 प्रतिशत फूलों एवं औषधीय पौधों की हिस्सेदारी है।

अगर हम बिहार प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर देश के कुल बागवानी उत्पादन का लगभग 6.8 प्रतिशत पैदावार होता है। बिहार राज्य का देश के स्तर पर फल फसलोत्पादन (98.5 मिलियन टन) में लगभग 5.3. प्रतिशत हिस्सेदारी और सब्जियों के उत्पादन (186.4 मिलियन टन) में लगभग 8.6 प्रतिशत की भागीदारी रहती है। बिहार प्रदेश के प्रमुख फलों आम, लीची, केला, अमरूद, पपीता, अनन्नास, नीबू वर्गीय फलों (गागर नीबू), आँवला, बेल और कटहल आदि का अपना एक स्थान रहता है। यहाँ पर पैदा होने वाला जरदालू और माल्दाह आम, शाही लीची, पूसा किस्मों के पपीते, गागर, नीबू, कागजी बेल आदि का देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर

दबदबा रहता है। बिहार राज्य अपने धरोहर फलों में शाही लीची तथा जरदालू आम का भौगोलिक उपदर्शन (GI Tag) भी प्राप्त कर चुका है, जिसकी विशेष गुणवत्ता विश्व स्तर पर विख्यात है। सब्जियों के क्षेत्र में प्रदेश से उत्पादित प्याज, टमाटर, मिर्च, ओल, परवल, अगेती गोभी, भिण्डी आदि का अपना अलग ही महत्व है। चाहे आलू का उत्पादन हो या परवल की गुणवत्ता, चाहे हाजीपुर की अगेती गोभी हो या मुजफ्फरपुर की लीची शायद ही ऐसा उत्पाद देश के अन्य प्रदेशों में होता है। बिहार की हल्दी एवं मिर्च की गुणवत्ता काफी सराहनीय है। राज्य में शहद का उत्पादन भी काफी बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें लीची के शहद का एक विशेष स्थान है।

कृषि आधारित प्रदेश

बिहार मूलतः कृषि आधारित प्रदेश है, जहाँ पर खाद्यान और बागवानी फसलों पर ही अधिकतर लोगों की जीविका निर्भर रहती है। राज्य सरकार इस दिशा में काफी संवेदनशील है तथा कृषि रोटमैप के माध्यम से हर क्षेत्र के विकास का खाका तैयार किया है। कृषि रोडमैप पर साल-दर-साल अमल के परिणामस्वरूप, प्रदेश की काफी प्रगति हुई है और करोड़ों रुपये का राजस्व भी प्रतिवर्ष मिलता है। राज्य को कृषि में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'कृषि कर्मण' पुरस्कार से कई बार नवाजा जा चुका है।

इन सब उपलब्धियों और संभावनाओं के बीच हमें यह अवश्य समझना चाहिये कि जब हमारे पास कोई बड़े उद्योग नहीं है, खनिज सम्पदा का ज्यादा भण्डार नहीं है, पर्यटन उद्योग की संभावनायें भी सीमित हैं, तब हमें युवा जोश, उनके ज्ञान और कौशल के उपयोग द्वारा कृषि क्षेत्र में नई-नई संभावनायें को तलाशने और उसे प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करना होगा। हम जानते हैं कि बागवानी फसलों में जल्दी खराब होने की प्रवृत्ति होती है, यदि उन्हें एक निश्चित समय



सीमा के अंदर उचित प्रबंध द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया अथवा उनका विपणन या प्रसंस्करण नहीं किया गया तो किसानों व उद्यमियों को 25-40 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ यदि उत्पादन अधिक हुआ तो उचित बाजार न मिलने के कारण दाम कम मिलता है। बागवानी क्षेत्र में भंडारण एवं प्रसंस्करण की सुविधा, परिवहन के साधन, बाजार की आधारभूत संरचना एवं सुविधा इत्यादि अहम और आवश्यक स्तम्भ होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कमी, अव्यवस्था, सुस्तापन और तकनीक का अभाव पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अतः हमें इस दिशा में ध्यान देने और उसमें ससमय उचित प्रबंध के बारे में चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है।

बागवानी और आत्मनिर्भरता

हमें अपने किसानों और नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बागवानी के क्षेत्र में विशेष कर प्रसंस्करण के दिशा में अधिक ध्यान देने की जरूरत है और जब हमारे प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान किया है और कहा है कि "जब तक हमारे देश और प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक शायद हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे।" इस दिशा में फल सब्जी प्रसंस्करण एक मजबूत हथियार सिद्ध हो सकता है। इस समय देश में फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण वर्तमान में बहुत कम और कुछ मामलों में तो लगभग नगण्य है। अगर कुछ विशेष फसलों को छोड़ दें, तो प्रसंस्करण का स्तर 5 प्रतिशत से भी कम है। अतः इस दिशा में हमें जागरूक होने और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। विडम्बना देखिये कि हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रसंस्कृत उत्पाद उपयोग करते हैं, चाहे वह अचार, मुरब्बा, जैम, जैली, सॉस, शर्बत हो या यदि फिर बड़े-बड़े माल से खरीदा गया सुंदर-सुंदर पैक में ताजे फल व सब्जियाँ हों अथवा पैकेट में बंद मसाले आदि। हम बड़े ही गर्व से कई गुना अधिक मूल्य देकर खरीदते हैं और उपयोग भी करते हैं। क्या हमने कभी इस दिशा में सोचा है कि हम या हमारे राज्य के नवयुवक इस क्षेत्र में भी अपना उद्यम सृजित कर सकते हैं और अपने आस-पास में बहुतायत से पैदा होने वाले फल एवं सब्जियों को इस रूप में परिवर्तित करके स्वयं एवं अन्य युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, शायद नहीं। जबकि, आज की शहरी आबादी के पास समय और धैर्य की सर्वथा कमी देखी जा रही है। वे अधिक व्यस्त रहते हैं और उन्हें सुलभ खाद्य जैसे तैयार खाद्य पदार्थों अथवा ऐसे पदार्थों जिन्हें

जल्दी और कम समय में पकाया जा सके, की आवश्यकता रहती है। उदाहरण के लिए अंकुरित अनाज, मैगी, हाफ कुक्कड सब्जियाँ आदि। आज कल हमारे अधिकतर लोगों को जरूरत है, आम का रस या गूदा की लेकिन हमारे किसान पैदा करते हैं आम। उनकी जरूरत है छिला और कटा हुआ कटहल लेकिन हम बेचते हैं कटहल का फल। उन्हें चाहिए आँवले का मुरब्बा और हम बेचते हैं आँवले का फल। ऐसे अनेक उदाहरण आपके पास भी होंगे और आप यह भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे उत्पाद बाजार में मिल भी रहे हैं और मिल ही नहीं रहे हैं बल्कि ऊँचे दामों पर मिल रहे हैं तथा उनका नामी गिरामी ब्राण्ड भी है। यदि हम ऐसा सोचते और उत्पाद तैयार करते तो आज हमारा भी एक 'ब्राण्ड' होता तथा हमारे उत्पाद भी देश के विभिन्न सुपर मार्केट के रैक में लगे होते और हमारे प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन होता और हमें स्वरोजगार मिलता। यदि कोई किसान या उद्यमी लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक इमानदार प्रयास करे तो अपने उत्पाद में मूल्य सम्वर्धन करके लाभ कमा सकता है।

इस विषय पर मैं एक उदाहरण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। हमारे प्रदेश में लगभग 10.000 टन शहद उत्पादित होता है, जिसमें लीची का शहद प्रमुख है। हमारे मेहनत कश मधुमक्खी पालक दिन-रात परिश्रम करके शहद इकट्ठा करते हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर 90-100 रूपये प्रति किलो के दर से बेच देते हैं। यही शहद जब प्रसंस्कृत करके किसी कम्पनी का लेवल लगाकर बाजार में आता है तो मूल्य होता है, 400-500 रूपये प्रति किलो और अगर छोटे पैक में है तो और भी अधिक। यदि कच्चे शहद को मशीन द्वारा प्रसंस्कृत करके, अच्छे से पैक करके, उसकी गुणवत्ता का स्तर मेनटेन करके बाजार में भेजा जाय तो यही शहद जिसकी प्रसंस्करण समेत कुल लागत 140-150 रूपये प्रति किलोग्राम होती है, 300-390 रु. प्रति किलो ग्राम के दर पर बेचा जा सकता है। हमने भा.कृ. अनु.प.- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर की प्रसंस्करण कार्यशाला में इसके प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता जाँच और उत्पादन का एक सफल प्रयोग किया है और पाया है कि इसमें 200-250 प्रतिशत तक लाभ मिल सकता है। अब जरूरत है, नवयुवकों को आगे आने की, आवश्यक सुविधाओं के विकास की और उद्यमिता के नये मानदण्ड स्थापित करने की। इसी प्रकार फलों का प्रसंस्करण जो अभी बामुशिकल 3-4 प्रतिशत तक ही होता है उसे बढ़ाया जा सकता है। जो कि बहुत ही आसान एवं कम लागत वाला उद्यम है। हमने ऐसे 14-15 उद्यमियों को प्रशिक्षित करके लाइसेंस भी दिया है परन्तु इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।



सूक्ष्म अथवा कुटीर उद्योग के स्तर पर उत्पाद विविधीकरण किसानों की समस्या का हल हो सकता है। लिज्जत पापड़ की सफलता शायद आप को याद होगी, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमें प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ-साथ उत्पाद विविधीकरण यानी अनेकानेक उत्पाद बनाने की दिशा में भी प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए बिहार में पैदा होने वाली मशहूर लीची की जब तुड़ाई होती है तो बागीचे से कुल उत्पादन का लगभग 60-70 प्रतिशत फल ही बाजार में ताजे फलों के रूप में बिक्री के लिए भेजा जाता है। शेष फल या तो बाजार के मानक के अनुरूप नहीं होते अथवा कटे-फटे होते हैं लेकिन उनके गूदे अच्छे होते हैं, जो प्रसंस्करण योग्य होते

वाली नौकरी मिल जाय। अब समय आ गया है कि हम आत्मनिर्भर बनें, ज्ञानी बनें और अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास करें। जोखिमों से डरें नहीं। नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने की ओर सोचें। अतः भाइयों उठें और आगे बढ़ें। 'Where there is Will there is Way' सरकार आपके साथ है और समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस कोविड काल में हमारे बहुत से प्रवासी भाई-बहन अपने प्रदेश में आये हैं, उनमें हुनर भी है और जज्बा भी। सकारात्मक सोच के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक कृषि उद्यमी बन कर उभरेंगे।

महीना	प्रसंस्करण की संभावनायें	उपलब्ध बागवानी उत्पाद
जनवरी-मार्च	शहद प्रसंस्करण, मशरूम प्रसंस्करण, मटर की डिब्बा बंदी, अचार बनाना।	शीत कालीन सब्जियाँ एवं फल।
अप्रैल-मई	बेल के उत्पाद, कच्चे आम से अचार, कटहल के अचार, कटहल के डिब्बा बंद टुकड़े।	परवल और अन्य लतादार सब्जियाँ।
मई-जून	लीची के विभिन्न उत्पाद।	लीची/आम।
जून-अगस्त	आम और वर्षा कालीन अमरूद के अनेक उत्पाद	आम और अमरूद।
सितम्बर- अक्टूबर	आंवले का मुरब्बा, कैण्डी, अचार बनाना आदि	मक्का की किस्में (Sweet/baby corn) और सब्जियाँ।
नवम्बर- दिसम्बर	टमाटर के अनेक उत्पाद और सब्जियों के अचार।	गागर नींबू और सब्जियाँ

हैं। जब यह फल फैक्ट्री में जाता है तो इससे 50-60 प्रतिशत तक गूदा निकलता है, जिससे अनेक उत्पाद जैसे स्कवैश, आर टी एस, नेक्टर आदि बनते हैं, परन्तु हम गूदे को ही बड़ी-बड़ी ब्राण्ड वाली कम्पनियों को बेच देते हैं और दाम मिलता है 70-80 रुपये प्रति किलो का। यही गूदा या पल्प जब ट्रेट्टा पैक, स्कवैश आदि के रूप में हम ज्यादा दामों में खरीदते हैं तो हम देते हैं- 150-200 रुपये प्रति लीटर। हम आपको बताते चलें कि एक किलो गूदा या पल्प से 4 लीटर स्कवैश या 10 लीटर आर टी एस (जो ट्रेट्टा पैक में होता है) बनता है और इसकी कुल लागत आती है 30-40 रुपये प्रति लीटर या उससे भी कम परन्तु हम उसे खरीदते हैं। मैं नौजवानों, पढ़े-लिखे और बेरोजगारों की पंक्ति में खड़े अपने उन बच्चों और भाइयों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम यह नहीं कर सकते। उत्तर होगा हाँ कर सकते हैं परन्तु प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा, फाइनेन्स कहाँ मिलेगा, बाजार कहाँ मिलेगा, कौन खरीदेगा हमारे उत्पाद को बाजार में, इसे कौन करेगा, लाभ होगा या नुकसान आदि आदि। और फिर हम चुप-चाप बैठ जायेंगे और प्रयास करेंगे कि किसी निजी या सरकारी कम्पनी में कोई निश्चित दरमाह

निष्कर्ष

बागवानी के क्षेत्र में उद्यमिता की अनेकानेक सम्भावनायें हैं। सब्जियों के बीज उत्पादन का क्षेत्र हो, पौधशाला बना कर लोगों को बिचड़ा उपलब्ध कराना हो, जैविक उपादान जैसे वर्मीकम्पोस्ट, वर्मीवाश, पौधा टानिक, पंचगव्या आदि बनाना हो, फलों एवं सब्जियों की तैयारी, पैकेजिंग, न्यूनतम प्रसंस्करण द्वारा मूल्य संवर्धन हो या फिर फलों एवं सब्जियों के वैल्यू चेन को विकसित करने का क्षेत्र हो, संभावनायें अपार हैं, ज्ञान का भण्डार भी असीमित एवं सुलभ है तथा सरकार की नीतियां भी अनुकूल हैं।

अतः हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और विशेष कर बिहार जैसे कृषि सम्पदा सम्पन्न राज्य में बागवानी आधारित उद्यमिता और प्रसंस्करण के माध्यम से एक उज्ज्वल कल की परिकल्पना जरूर करनी चाहिए। फर्ज करिये कि अगर कोई उद्यमी उत्तर बिहार में एक प्रसंस्करण इकाई स्थापित करता है तो उसे वर्ष भर प्रसंस्करण की योजना के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. अब्दुल कलाम साहब की सोच थी कि सपने जरूर देखिये परन्तु उसे पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करिये। मेरे खयाल से हमें आगे बढ़ना चाहिये।

